

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

क्रमांक-प्रशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1071

लखनऊ: दिनांक 15-9-2020

—कार्यालय ड्राफ्ट—

शिक्षण नगरपालिका तहसीली शिक्षा परिषद नई दिल्ली/दिल्ली उपत्यिका क्षेत्र (एच।एम। नई दिल्ली द्वारा) दिनांक सत्र 2020-21 हेतु शिक्षण नगरपालिका तहसीली शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपलक्ष्य प्राथमिक शिक्षा परिषद प्रशिक्षण संस्थानों से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को प्रशिक्षण प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा लखनऊ की सम्बद्धता से परिषद कार्यालय से रिपोर्ट प्रदान हुई। रिपोर्ट में परिषद द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्राथमिक नई दिल्ली/दिल्ली क्षेत्र में सम्बद्धता/पूर्व से सम्बद्धता संस्थाओं को सम्बद्धता शिक्षण/सहायक/प्रदेश समता वृद्धि सहित शक्य सभी पर विचार करती हूँ तथा 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किया जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त में अनुक्रम में सम्बद्धता समिति को रिपोर्ट के पृष्ठ-3 में विस्तार रूप जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। सम्बद्धता समिति द्वारा रिपोर्ट-केमरा 328 निम्नानुसार जारी किया गया।

निजी क्षेत्र में स्थापित टिचिंगा इन कार्मसी प्राथमिक कार्यालय करने वाली संस्थाएँ, नई प्राथमिक शिक्षा परिषद, प्रशिक्षण लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीपीसीआईई द्वारा उन्हें क्याम्प अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीपीसीआईई द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार को अनुसार उनके नाम के सामान्य अधिकांश प्राथमिक/प्रदेश समता को साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीपीसीआईई द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार को अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 24-08-2020 को उक्त सम्बद्धता समिति की रिपोर्ट में विधि तम उपरोक्त रिपोर्ट को अनुक्रम में निम्न सूची को प्राथमिक शिक्षा परिषद 10/10 लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित वर्गों से संबंधित प्रदान का प्रवेश अधिकार प्रदान हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र। सं.	संस्था का नाम	संस्था का पता	सहायक नाम	पीपीसीआईई द्वारा		पीपीसीआईई/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 के अनुमोदन प्रदान किया
				वर्ग	सत्र	
1	जीएम	नगर प्रशासन क्षेत्र निचली नई दिल्ली, नई दिल्ली	विद्यार्थी नृ-शालिका	बी	बी	बी

सम्बद्धता हेतु जारी

- ✓ सत्र 2020-21 हेतु (बी।सी।) / (बी.टी।सी।) द्वारा निर्धारित की जाती है।
- ✓ सत्र 2020-21 हेतु प्राथमिक शिक्षा परिषद 10/10 लखनऊ द्वारा प्राथमिक शिक्षा परिषद विभाग/पीपीसीआईई द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्राथमिक शिक्षा परिषद में प्राथमिक शिक्षा परिषद का अनुमोदन करने वाले सभी निम्नलिखित समिति द्वारा निर्धारित प्रकार के समिति प्राथमिक प्राथमिक हेतु 10/10 लखनऊ/- समिति से जारी किया जा रहा है। 10/10 लखनऊ/- निर्णय एवं सत्र 2020-21 के प्राथमिक प्राथमिक से जारी प्राथमिक प्राथमिक के निर्धारित हेतु 10/10 लखनऊ


 Director

**Kaish Institute of Pharmacy & Management
GIDA, Gorakhpur**

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश तखनऊ।

संख्या- प्राशिय/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

तखनऊ दिनांक: 30/08/2022

कार्यालय त्रयः


अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने पर उत्तरांच प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० तखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित गई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने वाले का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० तखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उत्तम अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4829-KAILASH INSTITUTE OF PHARMACY & MANAGEMENT			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।


Director
Kailash Institute of Pharmacy
& Management
GIDA, Gorakhpur

संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1982, विनियमावली-2000, संशुद्ध विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक वर्कर्स पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्ति किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ सम्बन्धित उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, 2020, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2020 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2020 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में भा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आवेदनित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करवाना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।



Director
Kailash Institute of Pharmacy
& Management
GDA, Gorakhpur

संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेजिग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अधिलेख, भूमि अवल, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिक स्वीकृत निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आर0सी0टी0ई0पी0एम0परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(एफ0आर0 डान)

सचिव

सू0सं0- प्राधिया/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिनिधि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, KAILASH INSTITUTE OF PHARMACY & MANAGEMENT



(एफ0आर0 डान)

सचिव



Director
Kailash Institute of Pharmacy
& Management
GIDA, Gandhinagar